न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./3992/2006/हनुमानगढ

1– हरदेव सिंह पुत्र मनफूल सिंह
2– बोहड सिंह पुत्र रुलिया सिंह
जाति जट सिख, निवासीगण नौरंग देसर, तहसील व जिला, हनुमानगढ।

–– अपीलाण्ट

बनाम

1– परमजीत कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह
2– सर्वजीत कौर पत्नी साधू सिंह
जाति जट सिख, निवासीगण नौरंग देसर, तहसील व जिला, हनुमानगढ।
3– राजस्थान सरकार

–– रैस्पोण्डेण्ट

एकल–पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :–
(1) श्री एस0एन0 बेनीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री ओ0पी0 मोदी, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 04.09.2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 16/2006 अनुवानी परमजीत कौर बनाम बोहड सिंह में पारित निर्णय दिनांक 14–06–2006 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा चक 14 एन0डी0आर0 प0नं0 152/346 कि0नं0 20/0.13, 21/.228, 22/,126, 23/.063 कुल रकबा 0.430 है0 का कीमतन आवंटन बहक हरदेव सिंह पुत्र मनफूल सिंह के पक्ष में करने का आदेश दिनांक 15–7–2003 को पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण परमजीत कौर वगैरा द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28–10–2015 से प्रकरण को राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ से राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर को मुॅतकिल किया गया। राजस्व अपील

अधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 14-06-2006 से अपील को आंशिक स्वीकार कर पात्रता की जॉच कर नवीन आदेश पारित करने हेतु, प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को प्रति प्रेषित किया। इस निर्णय के विरुद्ध आवंटी/अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

3 - अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि राजस्थान उप निवेशन अधिनियम, 1954 (इंदिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत प्रार्थी हरदेव सिंह द्वारा आवेदन करने पर प्रश्नगत भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। प्रश्नगत भूमि के पडौसी काश्तकारान को विधिवत नोटिस जारी किया गया है जिनमें से पडौसी काश्तकारान ने प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी हरदेव सिंह की भूमि से चिपती हुई भूमि बताया है और स्पष्ट रुप से कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि को हम आवंटन नहीं करना चाहते हैं और यदि भूमि हरदेव सिंह को आवंटन कर दी जाती है तो इसमें उनके द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, हनुमानगढ द्वारा विस्तृत रुप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर भी हमारा प्रकरण बनता है और उपखण्ड अधिकारी ने भी इस रिपोर्ट पर बखूबी गौर किया है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रैस्पो0 द्वारा भी आवंटन के लिए आवेदन किया था किन्तु स्माल पेच भूमि के आवंटन के लिए पडौसी काश्तकार होना आवश्यक है और रैस्पो0 की भूमि आवंटित रकबे से काफी दूर है, अतः पात्र नहीं होने से ही रैस्पो0 का आवंटन का प्रकरण नहीं बनता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि जब रैस्पो0 की भूमि पडौस में है ही नहीं तो रैस्पो0 के पक्ष में स्माल पेच आवंटन नहीं किया जा सकता है और आवंटन करने से ये आने जाने के लिए रास्ता भी कहॉ से लेंगे। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी के विधिक व तथ्यपरक निर्णय में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप किया है, अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये।

5- रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अपीलार्थी संख्या-1 के पक्ष में अविधिक रुप से प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 15-7-2003 पारित किया गया है। रैस्पो0 की खातेदारी की भूमि प्रश्नगत भूमि से अधिक दूरी पर नहीं है, अतः स्माल पेच भूमि

आवंटन का रैस्पो0 हकदार है। स्माल पेच भूमि के एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में पीलामी द्वारा आवंटन किया जाना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 15-7-2003 पारित करने में किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया है और हमें विधिवत रुप से सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार की स्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पात्रता की जॉच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने अपील खारिज की जाने का निवेदन किया।

6- अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकार्य व निर्विवाद तथ्य है है कि उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा चक 14 एन0डी0आर0 प0नं0 152/346 कि0नं0 20/0.13, 21/.228, 22/,126, 23/.063 कुल रकबा 0.430 है0 का कीमतन आवंटन बहक हरदेव सिंह पुत्र मनफूल सिंह के पक्ष में करने का आदेश दिनांक 15-7-2003 को पारित किया गया है। स्माल पेच प्रकरण रिपोर्ट, जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15-5-2002 को प्रस्तुत की इसमें क्रम संख्या 3 पर प्रश्नगत आवंटित भूमि के चिपते हुये काश्तकारों की भूमि का वर्णन दिया गया है जिसमें दक्षिण में निकूराम वल्द सल्लूराम, पश्चिम में हरदेव सिंह वल्द मनफूल सिंह, पूर्व में नहर व उत्तर में नहर अंकित की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि पडौसी काश्तकार निकूराम वल्द सल्लूराम की ओर से "प्रार्थीगण मनीराम, धर्मपाल, हरीराम, प्रेम, कृष्णा पि0 निक्कूराम उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा यह रकबा हमारे पडौसी काश्तकार हरदेव सिंह पुत्र मनफूल सिंह को आवंटन किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा अंकित किया है।" उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वर्तमान रैस्पो0 द्वारा भी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जैसा कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अध्ययन से स्पष्ट है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सुना नहीं गया है। नकल नक्शा चक 14 एन0डी0आर0 की प्रस्तुत की है उसके अनुसार भी रैस्पो0 की भूमि आवंटित भूमि से दूर होना प्रतीत होती है और उपखण्ड अधिकारी ने भी अपने निर्णय दिनांक 15-7-2003 में यही अंकित किया है कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का चिपता हुआ काश्तकार नहीं है। स्पष्ट है कि जब प्रश्नगत आवंटित भूमि आवंटी की चिपती हुई है और रैस्पो0 की भूमि आवंटित भूमि से दूर होना और बीच में नहर होना बताया है तो पात्रता

की जॉच के लिए प्रकरण को रिमाण्ड करने का कोई औचित्य ही नहीं था। प्रश्नगत भूमि के रैस्पो0 पाडौसी नहीं हैं और स्माल पेच में आवंटन हेतु, नीलामी सम्बन्ध आपत्ति उसी स्थिति में हो सकती थी जब कि दोनों ही काश्तकार प्रश्नगत भूमि के चिपते हुये रहे हों। अपीलार्थी पक्ष की भ यह आपत्ति भी उचित प्रतीत होती है कि पडौसी काश्तकार नहीं होने से रैस्पो0 रास्ता कहॉ से लेंगे। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय से किया गया हस्तक्षेप तथ्यों को देखते हुये हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपील सारवाना पाए जाने से स्वीकार योग्य रहती है।

8– अतः अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 16/2006 अनुवानी परमजीत कौर बनाम बोहड सिंह में पारित निर्णय दिनांक 14–06–2006 निरस्त किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15–07–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य